Ministry of External Affairs

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 2013

RULES

F. No. Q/CAD/611/2/2010:- The rules for a Grade-I of General Cadre of Indian Foreign Service 'B' Branch (Under Secretary) Special Limited Departmental Competitive Examination for Scheduled Caste/Scheduled Tribe Candidates to be held by the Union Public Service Commission in 2013 for additions in the Select Lists for the years 2009, 2010, 2011 are published for general information.

1. The number of persons to be selected for inclusion in the Select List will be specified in the Notice issued by the Commission.

2. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in the **Appendix** to these Rules. The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the commission

3. Any Officer whose name has been included in the Select List of Integrated Grades II & III of the General Cadre of the Indian Foreign Service 'B' and who belong to Scheduled Castes/Scheduled Tribes and satisfies the conditions regarding length of Service i.e. should have rendered not less than 4 years' approved and continuous service in the said grade on the crucial date as under;

Select List Year	Crucial date
2009	1st December 2008
2010	1st December 2009
2011	1st December 2010

Note (1) - Officers of the Integrated Grade II & III of the General Cadre of Indian Foreign Service 'B', who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority, shall be eligible for the said examination if they are otherwise eligible. Provided that it shall not apply to an Officer who has been appointed to an ex-cadre post or to another post on transfer and does not have a lien in the respective grade.

4. After the notification of the Rules of the Examination in the Gazette of India by Ministry of External Affairs and Notification of Examination by the Commission, the candidates will be required to apply through online on the UPSC’s website and thereafter submit a hard copy of the online submitted Application, along with the copies of all the testimonials to the Ministry of External Affairs authorities for verification and onward transmission to the Commission on or before the closing date. The scrutiny of application for deciding the eligibility of the candidates with reference to the eligibility conditions will be done by the Ministry of External Affairs. However, the decision of the Commission as to the acceptance of the application of a candidate and his/her eligibility or otherwise for admission to the examination shall be final.

5. The candidate applying for the examination should ensure that they fulfill all the eligibility conditions for admission to the examination. If, on verification, it is found that they do not fulfill the eligibility condition, their candidature for the examination will be cancelled.

6. e-Admission Certificate of the admitted candidates to this examination will be uploaded in the UPSC website at least two weeks before the date of examination and can be downloaded by the eligible candidates. No paper Admission Certificate will be issued by the Commission. Candidates shall not be admitted to the examination unless he/she holds a downloaded e-Admission Certificate.

7. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of:-

(i) Obtaining support for his/her candidature by any means; or

(ii) Impersonating; or

(iii) Procuring impersonation by any person; or

(iv) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with; or

(v) Making statements which are incorrect or false, or suppressing material information; or

(vi) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the examination; or

(vii) Writing irrelevant matter in the script(s); or

(viii) Misbehaving in any other manner in the examination hall; or

(ix) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of this examination; or

(x) Violating any of the instructions issued to candidates along with their e-Admission Certificate permitting them to take the examination; or

(xi) Attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses.

may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution, be liable:-

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he/she is a candidate; or

(b) to be debarred permanently or for a specified period:-

(i) by the commission, from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government, from any employment under them; and

(c) to disciplinary action under the appropriate rules. Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after:-

(i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he/she may wish to make in that behalf, and

(ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate, within the period allowed to him/her, into consideration.

8. The names of the candidates who are considered by the Commission to be suitable for selection on the results of the examination shall be arranged in the order of merit in a single list for candidates belonging to both the Scheduled Castes and Scheduled tribes and in that order as many candidates as are found by the commission to be qualified, shall be recommended for inclusion in the Select List, up to the required number of SC/ST vacancies separately. No waiting list shall be drawn. Vacancies which do not get filled in for any particular recruitment year will be carried forward as backlog vacancies to the following recruitment year.

NOTE: - Candidates should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be included in each select list on the result of the examination is entirely within the competence of Government to decide. No candidate will, therefore, have any claim for inclusion in the Select List on the basis of his performance in this examination, as a matter of right.

9. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

10. Success in the examination confers no right to selection unless Government are satisfied under such enquiry as may be considered necessary, that the candidate, having regard to his conduct in the service, is eligible and suitable in all respects for selection.

Provided that the decision as to ineligibility for selection in the case of any candidate recommended for selection by the commission shall be taken in consultation with the commission.

11. Candidates who after applying for admission to the examination or after appearing in it resigns or otherwise quits the service or severs his connection with it or whose services are terminated by his department or who is appointed to an ex-cadre post or to another service on 'transfer' and does not have a lien in the grade as mentioned in Rule 3 above will not be eligible for appointment on the results of this examination. This, however, does not apply to a person who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

12. The list of finally selected candidates would be forwarded by the Commission to Ministry of External Affairs for issue of offer of appointment to the post of Under Secretary(Grade-I) of General Cadre of IFS(B), Limited Departmental Competitive Examination for Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates.

13. No TA/DA/ Journey expenses will be allowed to the candidates for attending the exam at any stage.

KARTIK PANDE
DEPUTY SECRETARY (CADRE)

APPENDIX

The examination shall be conducted according to the following plan:-

Part I

(a) Written examination carrying maximum of 500 marks in the subjects as shown in para 2 below.

Part II

Evaluation of record of service carrying a maximum of 100 marks and conduction of Interview carrying a maximum of 200 marks of candidates:-

(i) who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion.

Note : Marks obtained in evaluation of record of service and interview will be counted for ranking;

2. The subjects, in which the candidates competing for different categories of services will be required to take the written examination, will be a follows:--

Paper No.	Subject	Type of Paper	Max. Marks	Duration
1	General Studies, International Relations, Indian Culture & General Knowledge of Constitution of India and Machinery of Government, Practice and Procedures in Parliament and Knowledge of RTI Act, 2005.	Objective	150	2 Hrs.
2	Procedure and Practice in the Govt. of India Secretariat and attached offices, General Financial and Service Rules, Delegation of Financial Power Rules	Objective	150	2 Hrs.
3	Essay, Comprehension and Precis Writing	Subjective	200	3 Hrs.
4	Evaluation of record of Service		100	
5	Interview		200	

Total Marks - 800

3. **<u>Penalty for wrong answers (in Objective Type Papers)</u>**

THERE WILL BE PENALTY (NEGATIVE MARKING) FOR WRONG ANSWERS MARKED BY A CANDIDATE IN THE OBJECTIVE TYPE QUESTION PAPERS.

(i) There are four alternatives for the answer to every question. For each question, for which a wrong answer has been given by the candidate, one third (0.33) of the marks assigned to that question will be deducted as penalty.

(ii) If a candidate gives more than one answer, it will be treated as a wrong answer even if one of the given answers happens to be correct and there will be same penalty as above for that question.

(iii) If a question is left blank, i.e., no answer is given by the candidate, there will be no penalty for that question.

4. Syllabi for the Examination will be as shown in the schedule.

5. Candidates will be allowed the option of writing the Essay Component in *English or Hindi (Devanagari),* but the medium of Précis Writing and Comprehension components will be in *English* only. Paper I & Paper II of the syllabus will be set both in Hindi *(Devanagari)* and English.

Note 1: Candidates will be required to indicate the medium of writing the Essay Component in the attendance list and on the answer book. The option once exercised shall be treated as final and no request for alteration in the said column shall be entertained.

Note 2: If a medium other than the one indicated by the candidate in the application form is used to write the answer in the examination, the paper of such candidates will not be evaluated.

6. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances they will be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

7. Appearance of candidates in all the three papers is a must for qualifying in the examination. The commission has the discretion to fix minimum qualifying marks in any or all the subjects of the examination.

8. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

9. Deduction upto 5% of the maximum marks in the written subject will be made for illegible handwriting.

10. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in the subjective paper.

11. Candidates should use only international form of Indian numerals (e.g. 1,2,3,4,5,6 etc) while answering Paper-III.

SCHEDULE

A broad outline of the papers is furnished below:-

Paper-I

- Salient features of Indian culture, Indian society and diversity of India.
- Effects of globalization on Indian society.
- Salient features of world physical geography.
- Distribution of key natural resources across the world and factors responsible for location of various types of industries in different parts of the world.
- Indian Constitution, its historical underpinnings, evaluation, features, amendments, significant provisions and basic structure.
- Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation.
- Welfare schemes for vulnerable sections of the populations by the Central and State Governments in important aspects of governance, transparency and accountability, e-governance.
- Bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and / or effecting India's interest.
- Effect of policies and polities of developed and developing countries on India's interest, Indian diasporas.
- Important national institutions and agencies, their structure and mandate.
- Indian economy and issues relating to planning, mobilization of resources, growth, development and implementation.
- Government budgeting.
- Effects of liberalization on the economy, changes in Industrial Policy and their effects on industrial growth.
- Achievements of Indian in Science & Technology.
- Role of external State and non-State actors in creating challenges to internal security.
- Contribution of moral thinkers and philosophers from India and world.
- **Machinery of Government, Practice and Procedures in Parliament.**
- **Knowledge of RTI Act, 2005.**

PAPER-II

This paper is intended to be intensive and detailed test in methods and procedure of work in the Government of India secretariat and attached offices. Detailed knowledge of General Financial and Service Rules viz., Conduct Rules, Leave Rules, TA Rules, Delegation of Financial Powers Rules etc. will be tested.

Paper III: Essay Component, Précis Writing and English Comprehension.

This paper shall test candidates' ability to bring to fore his/ her ideas on the given essay topic, arrange them in coherent, orderly, concise, understandable and lucid manner in effective and grammatically correct language free from spelling errors.

Further, this shall test candidates' ability to understand the given passages for précis-writing and comprehension and their skills to summarize the précis passage and reply to the short-answered questions on the comprehension passage.

Interview:-

The medium of interview will be in Hindi or English. The candidates will be asked questions both in his/her own field as well as matter of general interest to test his/ her awareness and understanding of bilateral issues and foreign affairs.

--- x x x ---

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना,

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2013

नियम

सं. **क्‍यू/सीएडी/611/2/2010**:- वर्ष 2009, 2010, 2011 की चयन सूचियों में नाम जोड़े जाने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्‍मीदवारों हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 2013 में आयोजित की जाने वाली भारतीय विदेश सेवा 'ख' शाखा सामान्‍य संवर्ग के ग्रेड-I के लिए (अवर सचिव) विशेष सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के नियम सामान्‍य जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं ।

1. चयन सूची में शामिल किए जाने वाले चयन किए गए व्‍यक्तियों की संख्‍या का उल्‍लेख आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में किया जाएगा ।

2. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस परीक्षा का आयोजन परिशिष्‍ट में विहित नियमावली के अनुसार किया जाएगा। परीक्षा की तारीख तथा परीक्षा-स्‍थल का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा।

3. कोई भी अधिकारी जिसका नाम भारतीय विदेश सेवा 'ख' के समेकित ग्रेड II एवं III अथवा सामान्‍य संवर्ग की चयन सूची में शामिल किया गया है तथा जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का है और जो सेवा अवधि के संबंध में निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो, अर्थात् जिसने निम्‍नानुसार दी गई महत्‍वपूर्ण तिथि के अनुसार उक्‍त ग्रेड में न्‍यूनतम 4 वर्ष की अनुमोदित तथा निरंतर सेवा अवधि पूरी कर ली है वह इस परीक्षा के लिए पात्र है;

चयन सूची वर्ष	**महत्‍वपूर्ण तिथि**
2009	1 दिसंबर 2008
2010	1 दिसंबर 2009
2011	1 दिसंबर 2010

टिप्‍पणी (1) - भारतीय विदेश सेवा 'ख' के समेकित ग्रेड II एवं III के अधिकारी, जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग-बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हैं, उक्‍त परीक्षा के लिए पात्र होंगे यदि वे अन्‍यथा पात्रता संबंधी शर्तें पूरी करते हैं। लेकिन यह किसी ऐसे अधिकारी पर लागू नहीं होगा जिसकी नियुक्ति स्‍थानांतरण के आधार पर संवर्ग बाह्य पद अथवा किसी अन्‍य पद पर हुई हो और जिसके पास संबंधित ग्रेड में लियन नहीं है ।

4. विदेश मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र में इस परीक्षा की नियमावली को अधिसूचित किए जाने और आयोग द्वारा परीक्षा की अधिसूचना जारी किए जाने के पश्‍चात उम्मीदवारों को संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता होगी तथा उसे उचित माध्‍यम से विदेश मंत्रालय के प्राधिकारियों को भेजना होगा जिससे आवेदन पत्रों का सत्यापन किया जा सके और उन्‍हें आयोग को भेजा जा सके । पात्रता की शर्तों के संदर्भ में उम्‍मीदवारों की पात्रता तय करने के लिए आवेदन पत्रों की संवीक्षा विदेश मंत्रालय द्वारा की जाएगी। तथापि, किसी उम्‍मीदवार के आवेदन पत्र तथा उसकी पात्रता अथवा अन्‍यथा रूप से उसे परीक्षा में प्रवेश दिए जाने को स्‍वीकार करने के मामले में आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।

5. परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे उम्‍मीदवार यह सुनिश्चित करेंगे कि वे परीक्षा में प्रवेश करने हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। जांच के बाद यदि यह पता चलता है कि वे पात्रता संबंधी शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, तो परीक्षा के लिए उनकी उम्‍मीदवारी रद्द कर दी जाएगी ।

6. इस परीक्षा में प्रवेश दिए गए उम्‍मीदवारों के लिए ई-प्रवेश प्रमाण पत्र, परीक्षा के आयोजन से कम से कम दो सप्‍ताह पहले संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे और पात्र उम्‍मीदवार इन्‍हें डाउनलोड कर सकते हैं ।

आयोग द्वारा कोई कागजी प्रवेश-प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। डाउनलोड किए गए ई-प्रवेश प्रमाण पत्र के अभाव में किसी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा ।

7. जो उम्मीदवार निम्नांकित कदाचार का दोषी है या आयोग द्वारा घोषित हो चुका है:-

(i) किसी भी विधि से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करना ; अथवा

(ii) नाम बदलकर परीक्षा देना, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्यसाधन कराना, अथवा

(iv) जाली दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करना जिसमें तथ्य को बिगाड़ा गया हो ; अथवा

(v) गलत या झूठे वक्तव्य देना या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना ; अथवा

(vi) परीक्षा में अपनी उम्मीदवारी के लिए कोई अन्य अनियमित अथवा अनुचित तरीका अपनाना ; अथवा

(vii) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना बनाना ; अथवा

(viii) परीक्षा भवन में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार करना ; अथवा

(ix) इस परीक्षा के संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान करना या उन्हें शारीरिक क्षति पहुंचाना ; अथवा

(x) सहित परीक्षा में बैठने की अनुमति देते हुए उम्मीदवार को भेजे गए ई-प्रवेश प्रमाण पत्र के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन करना ; अथवा

(xi) उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो, तो उस पर आपराधिक अभियोग(क्रिमिनल प्रासिक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे-

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा में जिसका वह उम्मीदवार है बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है और/अथवा

(ख) उसे स्थायी रूप से अथवा निर्दिष्ट अवधि के लिए :-

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए, विवर्जित किया जा सकता है ;

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से विवर्जित किया जा सकता है;

(ग) उपयुक्त नियमों के अंतर्गत अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। बशर्ते कि इस नियम के अंतर्गत कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक-

(i) उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन जो वह इस मामले में प्रस्तुत करना चाहे का अवसर प्रदान न दिया जाए, और

(ii) उम्मीदवार द्वारा उसे प्रदान किए गए समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, कोई विचार न कर लिया जाए।

8. परीक्षा के परिणाम के आधार पर चयन के लिए उपयुक्त समझे जाने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के नाम योग्यता क्रम में एक ही सूची में रखे जाएंगे और उसी क्रम में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए अलग-अलग अपेक्षित संख्या के अनुसार, आयोग द्वारा अर्हक पाए जाने वाले उम्मीदवारों के नाम चयन सूची में शामिल करने की अनुशंसा जाएगी । कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी। किसी वर्ष के दौरान की रिक्तियां यदि भरी न जा सकें तो उन्हें बैकलाग रिक्तियों के रूप में अगले भर्ती वर्ष में आगे ले जाया जाएगा ।

टिप्पणी :- उम्मीदवार यह स्पष्ट रूप से समझ लें कि यह एक प्रतियोगी परीक्षा है, अर्हक परीक्षा नहीं। इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रत्येक चयन सूची में शामिल किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या निर्धारित करना पूर्णतया सरकार के अधिकार-क्षेत्र में है । अत:, कोई भी उम्मीदवार केवल इस परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर अधिकार के रूप में चयन सूची में शामिल होने का दावा नहीं कर सकेगा ।

9. परीक्षा के परिणाम की सूचना प्रत्येक उम्मीदवार को व्यक्तिगत रूप से प्रदान करने के स्वरूप और इसकी विधि के संबंध में आयोग अपने विवेकानुसार निर्णय करेगा और परिणाम के संबंध में आयोग उम्मीदवारों के साथ कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा।

10. परीक्षा में सफलता प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार चरित्र तथा पूर्ववृत्त की दृष्टि से इस सेवा में नियुक्ति के लिए हर प्रकार से पात्र और योग्य हैं ।

बशर्ते यह कि आयोग द्वारा चयन के लिए अनुशंसित उम्मीदवार के मामले में चयन के हेतु पात्रता का निर्णय आयोग के साथ परामर्श करके लिया जाएगा ।

11. जो उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा इसमें बैठने के उपरांत त्यागपत्र दे देते हैं अथवा सेवा छोड़ देते हैं अथवा इससे संबंध तोड़ लेते हैं अथवा जिनकी सेवा इस विभाग द्वारा समाप्त कर दी जाती है अथवा जिनकी नियुक्ति संवर्ग बाह्य पद पर की जाती है अथवा जिनकी नियुक्ति स्थानांतरण के आधार पर हो जाती है और जिनका उपर्युक्त नियम 3 में किए गए उल्लेख के अनुसार इस ग्रेड में लियन नहीं है वे इस परीक्षा के परिणाम की घोषणा के उपरांत नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यह ऐसे व्यक्ति के मामले में लागू नहीं है जिसकी नियुक्ति प्रतिनियुक्ति के आधार पर संवर्ग-बाह्य पद पर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से हुई हो ।

12. अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों की सूची आयोग द्वारा विदेश मंत्रालय को अग्रेषित कर दी जाएगी ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अवर सचिव (ग्रेड-I) भारतीय विदेश सेवा (ख) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के नियुक्ति प्रस्ताव जारी किए जा सकें।

13. किसी भी चरण में उम्मीदवारों को यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता/ यात्रा व्यय का भुगतान नहीं किया जाएगा ।

कार्तिक पाण्डे
उपसचिव

परिशिष्ट

परीक्षा का आयोजन निम्नांकित योजना के अनुसार किया जाएगा :-

<u>भाग-I</u>

(क) निम्नांकित पैरा 2 में दर्शाए गए विषयों में अधिकतम 500 अंकों की लिखित परीक्षा।

<u>भाग -II</u>

उम्मीदवारों के सेवा रिकार्ड का मूल्यांकन जिसके अधिकतम अंक 100 तथा साक्षात्कार का आयोजन जिसके अधिकतम अंक 200 हैं :-

(i) जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में आयोग के विवेकानुसार निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेते हैं।

टिप्पणी :- सेवा रिकार्ड के मूल्यांकन तथा साक्षात्कार में प्राप्त किए गए अंकों को योग्यताक्रम के निर्धारण में जोड़ा जाएगा ।

2. विभिन्न सेवा श्रेणियों के लिए प्रतियोगिता में बैठे उम्मीदवार जिन विषयों में लिखित परीक्षा देंगे उनका विवरण निम्नानुसार है :-

पेपर नं.	विषय	पेपर का स्वरूप	अधिकतम अंक	अवधि
1	सामान्य अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारतीय संस्कृति और भारत के संविधान तथा सरकारी तंत्र का सामान्य ज्ञान, संसद की पद्धति और प्रक्रियाएं एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का ज्ञान।	वस्तुपरक	150	2 घंटे
2	भारत सरकार के सचिवालय तथा संबद्ध कार्यालयों में प्रक्रिया तथा पद्धति, सामान्य वित्तीय तथा सेवा नियमावली, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली।	वस्तुपरक	150	2 घंटे
3	निबंध, काम्प्रीहेंशन और सार-लेखन	विषयपरक	200	3 घंटे
4	सेवा रिकार्ड का मूल्यांकन		100	
5	साक्षात्कार		200	

कुल अंक - 800

3. **<u>गलत उत्तरों के लिए दंड (वस्तुपरक प्रश्न पत्रों में)</u>**

वस्तुपरक प्रश्न पत्रों में, उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड (ऋणात्मक अंकन) दिया जाएगा ।

(i) प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए चार विकल्प हैं । उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए गलत उत्तर के लिए, उस प्रश्न के लिए दिए जाने वाले अंकों का एक तिहाई (0.33) दण्ड के रूप में काटा जाएगा ।

(ii) यदि उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो उसे गलत उत्तर माना जाएगा चाहे दिए गए उत्तरों में से एक ठीक ही क्यों न हो और उस प्रश्न के लिए वही दण्ड होगा जो ऊपर बताया गया है ।

(iii) यदि प्रश्न को खाली छोड़ दिया गया है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा ।

4. परीक्षा का पाठ्यक्रम अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार होगा ।

5. पैरा 3 में उम्मीदवारों को निबंध भाग का उत्तर *अंग्रेजी अथवा हिंदी (देवनागरी)* में लिखने का विकल्प होगा, परंतु सार-लेखन तथा काम्प्रीहेंशन भाग का माध्यम केवल *अंग्रेजी* होगा। पाठ्यक्रम का प्रश्न पत्र-I और प्रश्न पत्र-II हिंदी *(देवनागरी)* और अंग्रेजी दोनों में तैयार किया जाएगा।

टिप्पणी I : उम्मीदवारों को निबंध भाग में उत्तर लिखने के माध्यम के विकल्प का उल्लेख उपस्थिति सूची तथा उत्तर पुस्तिका में करना होगा । एक बार दिए गए विकल्प को अंतिम माना जाएगा और उक्त कॉलम में परिवर्तन करने के किसी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

टिप्पणी 2 : यदि उम्मीदवार आवेदन प्रपत्र में निर्दिष्ट माध्यम के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से परीक्षा देता है, तो ऐसे उम्मीदवारों के पेपर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा ।

6. उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्रों के उत्तर स्वयं लिखने होंगे । किसी भी परिस्थिति में उन्हें उत्तर लिखने के लिए किसी अन्य व्यक्ति (स्क्राइब) की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

7. परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए सभी तीनों प्रश्न-पत्रों में उम्मीदवार की उपस्थिति अनिवार्य है । आयोग अपने विवेक से परीक्षा के किसी एक अथवा सभी विषयों में न्यूनतम अर्हक अंक निर्धारित कर सकता है ।

8. केवल सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे ।

9. लिखित परीक्षा में अपठनीय लिखावट के अधिकतम 5% अंक काटे जाएंगे ।

10. वस्तुपरक प्रश्न-पत्र में कम शब्दों में सुव्यवस्थित, प्रभावी और सटीक उत्तर देने पर अधिक अंक दिए जाएंगे ।

11. उम्मीदवारों को पेपर-।।। का उत्तर देते समय केवल भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप (जैसे 1 ,2,3,4,5,6, इत्यादि) का प्रयोग करना चाहिए ।

<u>अनुसूची</u>

प्रश्न पत्रों की प्रमुख रूपरेखा निम्नानुसार है:

प्रश्न पत्र-I

- भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज तथा भारत की विविधता की मुख्य विशेषताएं ।

- भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव ।

- विश्व के प्राकृतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं ।

- विश्व में प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण और विश्व के विभिन्न हिस्सों में विविध प्रकार के उद्योगों के स्थापित होने के कारक ।

- भारतीय संविधान, इसका ऐतिहासिक महत्व, मूल्यांकन, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान तथा मूल ढांचा ।

- सरकारी नीतियां तथा विभिन्न क्षेत्रों में विकास हेतु हस्तक्षेप तथा उनके डिजाइन तथा कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे ।

- केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा शासन, पारदर्शिता तथा जवाबदेही, ई-गवर्नेंस जैसे महत्वपूर्ण आयामों के परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या के कमजोर वर्गों के लिए कल्याण योजनाएं ।

- भारत तथा/अथवा भारतीय हितों से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक समूह तथा समझौते ।

- भारत के हितों, प्रवासी भारतीयों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीतिक व्यवस्था का प्रभाव ।

- महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थान तथा एजेंसियां, उनके ढांचे तथा अधिदेश ।

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास तथा कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दे ।

- सरकारी बजट

- अर्थव्यवस्था, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक वृद्धि पर उसका प्रभाव

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीयों की उपलब्धियां

- आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले विदेशी सरकार तथा गैर-सरकारी संगठन

- भारत तथा विश्व के नैतिक चिंतकों तथा दार्शनिकों का योगदान

- सरकारी तंत्र का सामान्य ज्ञान, संसद की पद्धति और प्रक्रियाएं

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का ज्ञान।

प्रश्न पत्र-II

इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य भारत सरकार के सचिवालय तथा संबद्ध कार्यालयों में कार्य की प्रणाली तथा प्रक्रिया का गहन और विस्तृत परीक्षण करना है। सामान्य वित्तीय तथा सेवा नियमावली नामत:, आचरण नियमावली, अवकाश नियमावली, यात्रा भत्ता नियमावली, वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन संबंधी नियमावली, आदि का परीक्षण करना है ।

प्रश्न पत्र-III
निबंध भाग, सार लेखन तथा अंग्रेजी काम्प्रीहेंशन

इस प्रश्न पत्र में निबंध के विषय पर उम्मीदवारों के अपने विचारों को प्रभावी और व्याकरणिक दृष्टि से वर्तनी संबंधी दोष के बिना सुसम्बद्ध, सुव्यवस्थित, संक्षिप्त, सुग्राह्य तथा सुबोध भाषा में व्यक्त करने की क्षमता का परीक्षण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इसमें उम्मीदवारों की सार-लेखन हेतु दिए गए गद्यांश को समझने तथा उस गद्यांश के सार-लेखन तथा काम्प्रीहेंशन गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर प्रस्तुत करने की क्षमता का भी परीक्षण किया जाएगा ।

साक्षात्कार

साक्षात्कार का माध्यम हिन्दी या अंग्रेजी होगा । उम्मीदवारों से उनके अपने कार्यक्षेत्र तथा सामान्य रूचि की जागरूकता तथा विदेशी मामलों एवं द्विपक्षीय मुद्दों की समझ का परीक्षण करने के बारे में प्रश्न पूछे जोऐंगे ।

---- x x x -----